



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032024-253285  
CG-DL-E-21032024-253285

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1440]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2024/चैत्र 1, 1946

No. 1440]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2024/CHAITRA 1, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजे अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2024

का.आ.1509(अ).—यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में स्टेट इण्डस्ट्रियल प्रमोशन कॉर्पोरेशन, श्रीपेरुम्बदूर तालुक, कांचीपुरम जिले में व्यापार एवं सम्भार तंत्र सबंधी प्रचालनों सहित इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सबंधित सहायक सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का.आ.1784(अ) दिनांक 18 अक्टूबर, 2007, का.आ.6065(अ) दिनांक 03 दिसम्बर, 2018, का.आ.1879(अ) दिनांक 09 सितंबर, 2020 तथा का.आ.1913(अ) दिनांक 21 अप्रैल, 2022 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 140.755 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित एवं 7.111 हेक्टेयर, 12.14 हेक्टेयर एवं 1.716 हेक्टेयर के क्षेत्रों को अनधिसूचित किया था;

और यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 45.797 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 5834108/एमआईबी.1/2023 दिनांक 19 दिसंबर, 2023 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है। ऐसे अनधिसूचित भूमि पार्सल का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्ज़ विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 45.797 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 45.797 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 73.991 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्यायें और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

#### तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	वालम - बी	443 भाग	0.131
2.		444 भाग	2.156
3.		445	1.115
4.		446	0.725
5.		447	0.750
6.		448 भाग	3.634
7.		455 भाग	0.026
8.		456 भाग	1.183
9.		457	4.200
10.		458 भाग	0.614
11.		459 भाग	3.152
12.		460 भाग	0.659
13.	पनरुत्ति - ए	1 भाग	5.824
14.		6 भाग	0.135
15.		7 भाग	0.333
16.		9 भाग	0.139
17.		11 भाग	0.811
18.		12	0.315
19.		13	0.170
20.		14 भाग	1.468
21.		18 भाग	2.130

22.		19	1.760
23.		20 भाग	2.261
24.		21 भाग	9.782
25.		22 भाग	2.308
26.		23 भाग	0.016
कुल			45.797
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			73.991

[फा. सं. एफ.2/717/2006-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2024

**S.O.1509(E).**—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for electronic hardware and related support services including trading and logistics operations at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Industrial Growth Centre, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 140.755 hectares and subsequently, de-notified three areas of 7.111 hectares, 12.14 hectares and 1.716 at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 1784(E) dated 18<sup>th</sup> October, 2007, S.O. 6065(E) dated 03<sup>rd</sup> December, 2018, S.O. 1879(E) dated 10<sup>th</sup> September, 2020 and S.O. 1913(E) dated 21<sup>st</sup> April, 2022, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 45.797 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No.5834108/MIB.1/2023-1 dated 19<sup>th</sup> December, 2023. Further, such de-notified land parcel would be utilized towards creation of infrastructure which would sub-serve the objective of the SEZ as originally envisaged;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 45.797 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 45.797 hectares, thereby making resultant area of the Special Economic Zone as 73.991 hectares. The Survey numbers and the area for the de-notification are given below in the table, namely:-

## TABLE

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area in Hectares
1.	Vallam-B	443 pt	0.131
2.		444 pt	2.156

3.		445	1.115
4.		446	0.725
5.		447	0.750
6.		448 pt	3.634
7.		455 pt	0.026
8.		456 pt	1.183
9.		457	4.200
10.		458 pt	0.614
11.		459 pt	3.152
12.		460 pt	0.659
13.	Panrutti-A	1 pt	5.824
14.		6 pt	0.135
15.		7 pt	0.333
16.		9 pt	0.139
17.		11 pt	0.811
18.		12	0.315
19.		13	0.170
20.		14 pt	1.468
21.		18 pt	2.130
22.		19	1.760
23.		20 pt	2.261
24.		21 pt	9.782
25.		22 pt	2.308
26.		23 pt	0.016
<b>Total</b>			<b>45.797</b>
<b>Grand Total Area of SEZ after above deletion</b>			<b>73.991</b>

[F. No. F. 2/717/2006-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.